

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक: ०७ मार्च, 2020

विषय— कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत विशेष सावधानी बरतने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न रिथ्ति का सामना करने के लिये उक्त से सम्बन्धित जानकारियों (Dos and Don'ts) का विशेष रूप से विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार-प्रसार किया जाना तथा उक्त के सन्दर्भ में यथाआवश्यकता स्वास्थ्य विभाग को उक्त हेतु वांछित उपकरणों तथा अन्य सामग्रियों की आपूर्ति जनपद को राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) / जनपद आपदा न्यूनीकरण निधि (DDMF) के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि से करवायी जानी अपेक्षित है।

कृपया सम्बन्धितों को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवद्वीय,

(एस. ए. मुरुगेशन)  
सचिव (प्रभारी)संख्या एवं दिनांक— उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(एस. ए. मुरुगेशन)  
सचिव (प्रभारी)